

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (य००), जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक
अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक २२/७/१९

विषय :— वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 49S27010300106 अंतर्गत 31 कार्यालयों को विभिन्न मदों में
कुल रु 1073.95 लाख (दस करोड़ तीहत्तर लाख पंचानबे हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त राशि
आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701—मध्यम सिंचाई	03— मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 06—छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	1073.950

कुल आवंटित राशि —


रुपये दस करोड़ तीहत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 8416.86 लाख (चैरासी करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि. 09.05.2016 2747(वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार द्वैर)
विशेष सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापर्ण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यापर्ण 31 मार्च 2020 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 12.7.19

ज्ञापांक :- 62

रॉची, दिनांक :- 22/3/19

अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/पलामु/जमशेदपुर/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 12.7.19

ज्ञापांक :- 62

रॉची, दिनांक :- 22/3/19

अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(रमेश कुमार द्वृबे)

उप सचिव (अभि.)

विशेष सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 12.7.19

अपर मुख्य सचिव

परिविक्षा I

62 22/2/19 का अनुलेखन

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-2701-नियम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-नियंत्रण तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानगपुर एवं स्थात प्रसाना सिंचाई परियोजना

पत्रांक


दिनांक

क्र. सं	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-2020		वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं जर्ते		वित्तीय शीर्ष-02-वापना वाय		वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		वित्तीय शीर्ष-04-नियंत्रण वाय		वित्तीय शीर्ष-07-विविध प्रसार		राशि लाख रुपये में		
		वित्तीय कोट	वेतन	15.11.2000 वर्ष का बकाया वेतन	1060912	देशीय वाय	कार्यालय व्यय	क्रियाएँ दर्ते, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूर्घात	वदा	विद्युत व्यय	माइट्रोहिया इधन एवं सम्पत्ति	कुल रोप	अधिकृति	
1	2 मुख्य अधिकार्ता जलसंसाधन विभाग, भौदीनीनगर	पूर्व का आवंटन 109,000 अतिविद्युत आवंटन 109,000	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	जलसंसाधन विभाग, भौदीनीनगर	पूर्व का आवंटन 42,000 अतिविद्युत आवंटन 8,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,300 0,600	0,400 0,500	0,000 0,000	0,000 0,250	0,000 0,250	0,000 0,100	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,500 0,800	0,000 0,050	0,000 0,200
2	मुख्य अधिकार्ता जलसंसाधन विभाग, हजारिबाग	पूर्व का आवंटन 76,000 अतिविद्युत आवंटन 24,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,600 0,500	0,500 0,400	0,000 0,000	0,000 0,250	0,000 0,250	0,000 0,100	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,500 0,800	0,000 0,050	0,000 0,200
3	आरंगा निर्माण अंचल, भौदीनीनगर	पूर्व का आवंटन 100,000 शायतन आवंटन	0,000 0,000	0,000 0,000	0,700 0,700	0,700 0,700	0,000 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,600	0,000 0,100	0,000 0,200
4	करवन बांध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन 13,590 अतिविद्युत आवंटन 1,04,590	0,000 0,000	0,000 0,000	0,300 0,500	0,400 0,700	0,000 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,600	0,000 0,000	0,000 0,14,890
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन 60,000 अतिविद्युत आवंटन 5,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,000	0,300 0,400	0,000 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,600	0,000 0,000	0,000 0,106,840
6	रुपांकण आयोजन एवं सोनि अंचल, भौदीनीनगर	पूर्व का आवंटन 85,000 अतिविद्युत आवंटन 25,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,500	0,300 0,400	0,000 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,600	0,000 0,000	0,000 0,60,950
7	अगिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन 56,000 अतिविद्युत आवंटन 50,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,200 0,400	0,250 0,450	0,000 0,000	0,000 0,200	0,000 0,200	0,000 0,100	0,000 0,150	0,000 0,100	0,000 0,100	0,100 0,600	0,000 0,150	0,000 0,27,050
8	अनुसंधान प्रांतिक, गढ़वा	पूर्व का आवंटन 122,000 अतिविद्युत आवंटन 43,200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,400 0,100	0,600 0,450	0,000 0,350	0,000 0,250	0,000 0,250	0,000 0,150	0,000 0,150	0,000 0,150	0,000 0,150	0,300 0,500	0,000 0,350	0,000 0,45,250
9	आयोजन एवं सोनि प्रमंडल-भौदीनीनगर	पूर्व का आवंटन 60,000 अतिविद्युत आवंटन 220,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,650 0,650	0,650 0,650	0,000 0,000	0,000 0,250	0,000 0,250	0,000 0,150	0,000 0,150	0,000 0,150	0,000 0,150	0,300 0,500	0,000 0,350	0,000 0,168,050

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमितो)

(रमेश कुमार द्वे)
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



12-2-19

क्र. सं	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विस्तृत शार्ट-01-देवन एवं नसे						विस्तृत शार्ट-02-						विस्तृत शार्ट-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शार्ट-04- गोटागाहिका	
		वेतन	15.11.2000 के पूर्ण का देवनार्थी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणार्दे, कर	आपूर्ति एवं सम्पत्ति	दूरसाक्ष वर्ती	विवृत व्यय	मोटागाहिका इंग्लैंड- गरमनी	विविध प्राप्त	कुल योग	अभियुक्त	विविध लाख रुपये में			
1	2	विप्र कार्ड	495270103001 060101	495270103001 060112	495270103001 1060213	495270103001 1060315	495270103001 1060316	495270103001 1060323	495270103001 1060333	495270103001 060334	495270103001 1060337	1060442 1060760	17	18	19		
10	11	आर्सा नियंत्रण प्रमंडल, पांकी परामू	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	121.000 66.290	0.000 0.000	0.200 0.450	0.000 0.350	0.000 0.150	0.100 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	121.500 67.740		
11	12	कलपन वाच प्रांगिन नार उंटारी गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	132.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.250 0.350	0.000 0.000	0.050 0.150	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.300	0.200 0.300	189.240 132.800		
13	14	कोनार नहर प्रमंडल, बगादर	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	182.000 250.000	0.000 0.000	0.200 0.300	0.250 0.250	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	2.400 135.200		
15	16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीगंग	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	140.000 100.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.250 0.250	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	140.500 100.750		
17	18	जलसंध प्रमंडल, गढ़वा चाईवासा	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	113.950 55.000	0.000 0.000	0.300 0.200	0.600 0.250	0.000 0.000	0.150 0.150	0.000 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.100 0.100	0.000 0.000	141.300 116.100		
19		जलसंध प्रमंडल, गढ़वा जलसंध प्रमंडल, वरही	पूर्व का आवंटन अतिवित आवंटन	60.000 28.200	0.000 0.000	0.400 0.400	0.200 0.350	0.000 0.000	0.100 0.150	0.000 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	6.250 31.650		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमिं)

(रमेश कुमार देव)
विशेष सचिव

(अनुराग कुमार सिंह)
अप्र सचिव

62
21/7/19

62
21/7/19

क्र सं	कार्यालय वा नाम	वित्तीय वर्ष 2019-2020		वित्तुत शार्फ-01-देवन एवं शर्फ-02-यात्रा व्यय		वित्तुत शार्फ-03-प्रशासनिक व्यय		वित्तुत शार्फ-04-नाट्याभियांशु एवं व्यय	वित्तुत शार्फ-05-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		देवन	देवन	देशीय यात्रा कार्यालय व्यय	किरायादर्ते कर	आपूर्ति एवं समग्री	दूसाथ वर्द्धि	विद्युत व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जलाध्य प्रस्तुल, भैदनानगर	पूर्व का आवंटन 495270103001 060101 495270103001 060110	15.11.2000 एल001स्थि देशीय यात्रा के पूर्व का देवनालि	0.000 0.000	0.200 0.450	0.250 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	12	13
20	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 139.000	228.000 0.000	0.000 0.000	0.650 0.250	0.250 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	14	15
21	जलाध्य प्रमंडल, रोची	पूर्व का आवंटन 404.000	404.000 0.000	0.200 0.300	0.250 0.350	0.000 0.000	0.050 0.150	0.000 0.600	16	17
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 543.000	543.000 0.000	0.500 0.500	0.600 0.600	0.000 0.150	0.200 0.200	0.000 0.600	18	19
22	जलाध्य प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन 78.000	78.000 0.000	0.200 0.450	0.250 0.250	0.000 0.000	0.000 0.150	0.000 0.150	228.750	228.750
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 90.000	90.000 0.000	0.650 0.500	0.500 0.000	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	230.050	1.300
23	जलाध्य प्रमंडल, हारापीराम	पूर्व का आवंटन 262.000	262.000 0.000	0.200 0.350	0.250 0.360	0.000 0.150	0.000 0.150	0.000 0.150	404.500	404.500
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 290.000	290.000 0.000	0.700 0.400	0.600 0.360	0.150 0.200	0.000 0.050	0.000 0.000	140.900	140.900
24	पुनर्वस पदार्थ 30 काव्यल परियोजना, मन्दिरनगर	पूर्व का आवंटन 108.000	108.000 0.000	0.200 0.500	0.250 0.350	0.000 0.000	0.000 0.150	0.000 0.000	545.400	545.400
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 7.000	7.000 0.000	0.200 0.400	0.350 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.050	78.750	78.750
25	चान्द्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 136.000	136.000 0.000	0.200 0.400	0.250 0.450	0.000 0.650	0.000 0.150	0.000 0.050	13.650	13.650
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 64.000	64.000 0.000	0.400 0.400	0.350 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.050	92.400	92.400
26	रूपांकण एवं मोनि प्र०, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 25.000	25.000 0.000	0.200 0.400	0.250 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.150	252.800	252.800
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 10.000	10.000 0.000	0.200 0.400	0.350 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.150	41.610	41.610
27	रूपांकण प्रमंडल सं-1, मन्दिरनगर	पूर्व का आवंटन 35.000	35.000 0.000	0.400 0.400	0.400 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.150	294.410	294.410
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 226.000	226.000 0.000	0.200 0.400	0.250 0.450	0.000 0.650	0.000 0.150	0.000 0.150	108.500	108.500
28	रूपांकण प्रमंडल सं-2, मन्दिरनगर	पूर्व का आवंटन 281.350	281.350 0.000	0.200 0.400	0.350 0.400	0.000 0.650	0.000 0.150	0.000 0.150	8.100	8.100
	अतिरिक्त आवंटन	अतिरिक्त आवंटन 25.390	25.390 0.000	0.100 0.400	0.350 0.400	0.000 0.600	0.000 0.100	0.000 0.100	116.600	116.600
29	विशेष भू-अर्जन पदोन्नत काव्यल परियोजना, मन्दिरनगर	पूर्व का आवंटन 126.000	126.000 0.000	0.200 0.400	0.250 0.350	0.000 0.600	0.000 0.100	0.000 0.100	136.750	136.750
	कुल आवंटन	कुल आवंटन 173.860	173.860 0.000	0.400 0.400	0.600 0.400	0.000 0.600	0.000 0.150	0.000 0.150	203.350	203.350

